improvement of environment and development of forests and wildlife in the State alongwith the achievement both physical and financial during the last two years are given in the Statement at the Annexure (See Appendir 172, Annexure No. 2)

(c) to (e) All the existing schemes of Wildlife conservation as indicated at S. No. 1-3 & 7 in the Statement at the Annexure will be continued.

Settlement of Erteroached forest Land

24. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any proposal from Maha rashtra Government for settlemsnt of encroached forest land by tribals has re cently been received by the Central Gov ernment; aind

(b) if so, when the proposal was re ceived and the action taken by Govern ment thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) A proposal for diversion of 28,886.41 ha. of forest land for regu-larisation of encroachments on forest land was received from the State Government of Maharashtra in June, 1990. After examination of the proposal, certain essential details have been sought from the State Government, which are yet to be received.

वन्य जीवों की खालों और उनके अंगों का अवैध व्यापार

25. श्री सत्य प्रकाश मालवीय:
श्री अनन्तराम जायसवाल:
श्री दिग्विजय सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन्य जीवों की खालों और अंगों का बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार चल रहा है और इसमें सेना के विभिन्न अंगों के अधिकारी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शामिल है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अवैध व्यापार में लिप्त लोगों और संबंधित सेना-अधिकारियों का पता लगाने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वन्य जीवों की रक्षा करने तथा उनकी खालों और अंगों का अवैध व्यापार रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) जी, नहीं । तथापि, रिपोर्ट मिली है कि उत्तर प्रदेश में तैनात कुछ सैनिक अधिकारी वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार में संलग्न हैं । इस मामले की जांच पड़ताल राज्य सरकार के माध्यम से की जा रही है और जरूरी होने पर इसे सैनिक प्राधिकारियों के साथ भी उठाया जाएगा ।

(घ) सरकार द्वारा वन्य जीव-जन्तुओं की सुरक्षा तथा वन्यजीवों और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

(1) अनुसूचित वन्य जीव-जन्तुओं के शिकार करने पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है ।

(2) शिकार-रोधी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(3) बाघों, हाथियों और गैंडों तथा उनके वास स्थलों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए विशिष्ट स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं ।

(4) जब कभी वन्य जीवन प्राधिकारियों को वन्य जीव-जन्तुओं के अवैध व्यापार की सूचना मिलती है, तो वे छापे मारते हैं ।

(5) वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के परिरक्षण के लिए वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के एक नेटवर्क की स्थापना की गई है । राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

(6) जीव-जन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय संकटापन्न वन्य प्राणिजात और वनसंपतिजात व्यापार कन्वेंशन के उपबंधों के अंतर्गत विनियमत किया जाता है । भारत इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला देश है ।

(7) वन्य जीव उत्पादों की तस्करी रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्य जीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

(8) शिकारियों और अवैध व्यापारियों की गिरफ्तारी में पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, तट रक्षक और सेना का भी सहयोग लिया जाता है ।

(9) मुखबिरों को इनाम का भुगतान करने की एक स्कीम है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ वन्य जीव उत्पादों की तस्करी के बारे में आसूचना प्राप्त करने में मदद मिलती है ।

(10) इस मंत्रालय द्वारा वन्यजीव और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए स्थापित समिति ने इस समस्या से निपटने के लिए विशिष्ट उपाय सुझाए हैं जिन्हें राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है ।

प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बन्द किया जाना

26. **श्री अमन्तराम जायसवाल :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो बन्द की जाने वाली इकाईयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में अब तक कोई आदेश जारी किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे आदेश का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक प्रभावी होने की संभावना है और क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसके आदेश सभी संबंधित इकाइयों पर सख्ती से तथा पूर्ण रूप से लागू हों ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कहा गया है कि वे उन इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें जिन्होंने निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया है । दोषी इकाइयों के विरुद्ध किसी राज्य बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में दी गई सहमति वापस लेना या पूर्व सहमति की वैधता समाप्त होने के बाद नई सहमति जारी न करना, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों की स्थापना के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम देते हुए निर्देश जारी करना, मुकदमा चलाना या समयबद्ध प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में इकाइयों द्वारा अच्छी प्रगति न करने के मामले में उन्हें बन्द करने के आदेश जारी करना ।

(ख) और (ग) सरकार ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे अधिकतम 30 जून, 1994 तक सुनिश्चित करें कि अत्याधिक प्रदूषण फैलाने वाली अभिनिर्धारित 17 श्रेणियों में सभी बड़ी और मझौली इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मापदंडों का सख्ती से अनुपालन किया जाए । राज्य बोर्डों को यह भी कहा गया है कि वे मामला-दर-मामला आधार पर इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति की पुनरीक्षा करें और दोषी इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। उनसे यह भी कहा गया है कि प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति और इस प्रकार की दोषी इकाइयों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के बारे में वे सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।